भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981

(1981 का संख्यांक 28)

The Export-Import Bank of India Act, 1981

(No. 28 OF 1981)

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

एक्ज़िम बैंक
EXIM BANK
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

© भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय

संशोधनकारी अधिनियमों की सूची

1. बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का संख्यांक 81)
2. बैंककारी, लोक वित्तीय संस्था और परक्राम्य लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का संख्यांक 66)
3. निरसन और संशोधन अधिनियम, 1988 (1988 का संख्यांक 19)
4. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1999 का संख्यांक 1)
5. वित्त अधिनियम, 1998 (1998 का संख्यांक 21)
6. प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियम) अधिनियम, 2005 (2005 का संख्यांक 30)
7. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 45)
8. भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) अधिनियम 2011 (2012 का संख्यांक 11)

© GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

LIST OF AMENDING ACTS.

1. THE BANKING LAWS (AMENDMENT) ACT, 1985 (81 OF 1985).
2. THE BANKING, PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS AND NEGOTIABLE INSTRUMENTS LAWS (AMENDMENT) ACT, 1988 (66 OF 1988).
3. THE REPEALING AND AMENDING ACT, 1988 (19 OF 1988).
4. THE EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (AMENDMENT) ACT, 1998 (1 OF 1999).
5. THE FINANCE ACT, 1998 (21 OF 1998).
6. CREDIT INFORMATION COMPANIES (REGULATION) ACT, 2005 (30 OF 2005).
7. BANKING COMPANIES (ACQUISITION & TRANSFER OF UNDERTAKING) AND FINANCIAL INSTITUTIONS LAWS (AMENDMENT) ACT, 2006 (45 OF 2006).
8. EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA (AMENDMENT) ACT, 2011 (11 OF 2012).

अप्रैल 1, 2012
April 1, 2012

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981

(1981 का संख्यांक 28)

The Export-Import Bank of India Act, 1981

(No. 28 OF 1981)

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

THE EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA ACT, 1981

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II

Establishment of the Export-Import Bank of India and Incorporation thereof

3. Establishment and incorporation of Export-Import Bank of India.
4. Authorised capital.

CHAPTER III

Management of the Exim Bank

5. Management.
6. Constitution of Board.
7. Committees.
8. Fees and allowances of directors and members of Committees.
9. Disqualifications.

CHAPTER IV

Business of the Exim Bank

10. Business of Exim Bank.

CHAPTER V

Resources of the Exim Bank

11. Loans by Central Government.
12. Borrowings and acceptance of deposits by Exim Bank.
13. Loans in foreign currency.
14. Grants, donations, etc., to Exim Bank.

CHAPTER VI

Export Development Fund

15. Export Development Fund.
16. Credits to Export Development Fund.
17. Utilisation of Export Development Fund.
18. Debits to Export Development Fund.
19. Accounts and Audit of Export Development Fund.
20. Liquidation of Export Development Fund.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981

धाराओं की क्रमबद्धता

धाराएँ

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएँ।

अध्याय II

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना और उसका निगमन

3. भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना और उसका निगमन।
4. प्राधिकृत पूँजी।

अध्याय III

एक्ज़िम बैंक का प्रबन्ध

5. प्रबन्ध।
6. बोर्ड का गठन।
7. समितियाँ।
8. निदेशकों और समितियों के सदस्यों की फीसें और भत्ते।
9. निरर्हता।

अध्याय IV

एक्ज़िम बैंक का कारबार

10. एक्ज़िम बैंक का कारबार।

अध्याय V

एक्ज़िम बैंक के साधन

11. केन्द्रीय सरकार द्वारा उधार दिया जाना।
12. एक्ज़िम बैंक द्वारा उधार लिया जाना और निक्षेपों का प्रतिग्रहण।
13. विदेशी करेंसी का उधार।
14. एक्ज़िम बैंक को अनुदान, संदान आदि।

अध्याय VI

निर्यात विकास निधि

15. निर्यात विकास निधि।
16. निर्यात विकास निधि में जमा किया जाना।
17. निर्यात विकास निधि का उपयोग।
18. निर्यात विकास निधि के प्रति विकलन।
19. निर्यात विकास निधि का लेखा और लेखा परीक्षा।
20. निर्यात विकास निधि का समापन।

CHAPTER VII

General Fund, Accounts and Audit

21. General Fund.
22. Preparation of accounts and balance sheet.
23. Disposal of profits accruing to General Fund.
24. Audit.
25. Saving.

CHAPTER VIII

Transfer of Part of Business of Development Bank

26. Transfer of part of business of Development Bank.

CHAPTER IX

Miscellaneous

27. Staff of Exim Bank.
28. Delegation of powers.
29. Returns.
30. Obligation as to fidelity and secrecy.
31. Defects in appointments not to invalidate acts, etc.
32. Arrangement with Exim Bank on appointment of directors to prevail.
33. Indemnity of directors.
34. Protection of action taken in good faith.
35. Act 18 of 1891 to apply in relation to Exim Bank.
36. Section 34A and section 36AD only of Act 10 of 1949 to apply to Exim Bank.
37. [Omitted]
38. Liquidation of Exim Bank.
39. Power to make regulations.
40. [Repealed]
41. Power to remove difficulty.

THE FIRST SCHEDULE.

THE SECOND SCHEDULE [REPEALED]

अध्याय VII

साधारण निधि, लेखा और लेखापरीक्षा

21. साधारण निधि।
22. लेखा और तुलनपत्र तैयार करना।
23. साधारण निधि को प्रोद्भूत होने वाले लाभों का व्ययन।
24. लेखापरीक्षा।
25. व्यावृत्ति।

अध्याय VIII

विकास बैंक के कारबार के भाग का अन्तरण

26. विकास बैंक के कारबार के भाग का अन्तरण।

अध्याय IX

प्रकीर्ण

27. एक्ज़िम बैंक के कर्मचारीवृन्द।
28. शक्तियों का प्रत्यायोजन।
29. विवरणियाँ।
30. विश्वसनीयता और गोपनीयता की बाबत बाध्यता।
31. नियुक्तियों में त्रुटियों के कारण कार्य आदि का अविधिमान्य न होना।
32. निदेशकों की नियुक्ति के विषय में एक्ज़िम बैंक के साथ ठहराव का अध्यारोही होना।
33. निदेशकों की क्षतिपूर्ति।
34. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।
35. 1891 के अधिनियम संख्यांक 18 का एक्ज़िम बैंक के संबंध में लागू होना।
36. 1949 के अधिनियम संख्यांक 10 की धारा 34 क और धारा 36 क घ ही एक्ज़िम बैंक को लागू होगी।
37. [हटा दिया गया]
38. एक्ज़िम बैंक का समापन।
39. विनियम बनाने की शक्ति।
40. [निरस्त]
41. कठिनाई दूर करने की शक्ति।

पहली अनुसूची।

दूसरी अनुसूची [निरस्त]

THE EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA ACT, 1981

(No.28 of 1981)

[11th September, 1981]

An Act to establish a corporation to be known as the Export-Import Bank of India for providing financial assistance to exporters and importers, and for functioning as the principal financial institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade and for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Parliament in the Thirty-second Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

Preliminary

Short title, extent and commencement.

1. *(1)* This Act may be called the Export-Import Bank of India Act, 1981.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Act.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "Board" means the Board of Directors of the Exim Bank referred to in section 6;

(b) "Development Bank" means the Industrial Development Bank of India established under the Industrial Development Bank of India Act, 1964; (18 of 1964.)

(c) "Exim Bank" means the Export-Import Bank of India established under section 3;

(d) "export" and "import" mean, respectively, export from or import into India or any other country of goods or services, or both;

(e) "goods" includes all materials, commodities and articles in a solid, liquid or gaseous state and all forms of energy;

(f) "notification" means a notification published in the Official Gazette;

(g) "prescribed" means prescribed by regulations made under this Act;

भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम , 1981

(1981 का अधिनियम संख्यांक 28)

[11 सितम्बर, 1981]

देश के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन की दृष्टि से निर्यातकर्ताओं और आयातकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए तथा माल और सेवाओं के निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के लिए और उनसे सम्बद्ध तथा उनके आनुषंगिक विषयों के लिए एक निगम की जो भारतीय निर्यात-आयात बैंक के नाम से ज्ञात होगा, स्थापना करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. *(1)* इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) ''बोर्ड'' से धारा 6 में निर्दिष्ट, एक्ज़िम बैंक का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है ;

1964 का 18

(ख) ''विकास बैंक'' से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अभिप्रेत है ;

(ग) ''एक्ज़िम बैंक'' से धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय निर्यात-आयात बैंक अभिप्रेत है ;

(घ) ''निर्यात'' और ''आयात'' से माल या सेवाओं का या दोनों का, भारत या किसी अन्य देश से क्रमश: निर्यात या उसमें आयात अभिप्रेत है ;

(ङ) ''माल'' के अन्तर्गत ठोस, द्रव या गैसीय अवस्था में सब पदार्थ वस्तुएं और चीजें तथा ऊर्जा के सब रूप भी हैं;

(च) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(छ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(h) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934; 2 of 1934.

(i) "scheduled bank" means a bank, for the time being, included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934; 2 of 1934.

(j) "services" includes,—

(I) providing personnel (including skilled or unskilled workmen and persons for rendering technical or other services) for the purposes of any work or project (by whatever name called) or any activity;

(II) transferring of technology, including transferring, or securing the transfer of rights, knowhow, expertises or other skill with respect to any patent, invention, model, design, secret formula or process or similar property;

(III) furnishing any information, blueprints, plans, or advice with respect to any matter; and

(IV) making available any other resources.

CHAPTER II

Establishment of the Export-Import Bank of India and incorporation thereof

Establishment and incorporation of Export-Import Bank of India.

3. *(1)* With effect from such date as the Central Government may, by notification, appoint, there shall be established for the purposes of this Act, a corporation to be known as the Export-Import Bank of India.

(2) The Exim Bank shall be a body corporate with the name aforesaid having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may, by that name, sue or be sued.

(3) The head office of the Exim Bank shall be at Bombay or at such other place as the Central Government may, by notification, specify.

(4) The Exim Bank may establish offices, branches or agencies at such places in or outside India as it may consider necessary.

Authorised capital.

4. *(1)* The authorised capital of the Exim Bank shall be ten thousand crores of rupees:

Provided that the Central Government may, by notification, increase the said capital up to an amount that it may deem necessary from time to time.

(2) The issued capital of the Exim Bank shall be wholly subscribed by the Central Government.

1934 का 2 (ज) ''रिज़र्व बैंक'' से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक अभिप्रेत है;

1934 का 2 (झ) ''अनुसूचित बैंक'' से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में तत्समय सम्मिलित कोई बैंक अभिप्रेत है ;

(ञ) ''सेवा'' के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :-

(I) किसी कार्य या परियोजना (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) या किसी क्रियाकलाप के प्रयोजनों के लिए कार्मिकों (जिसके अन्तर्गत कुशल या अकुशल कर्मकार तथा तकनीकी या अन्य सेवाएं करने वाले व्यक्ति भी हैं) का प्रबन्ध करना ;

(II) प्रौद्योगिकी का अन्तरण करना, जिसके अन्तर्गत किसी पेटेन्ट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त सूत्र या प्रसंस्करण या समरूप संपत्ति की बाबत अधिकारों, व्यवहार-ज्ञान, विशेषज्ञता या अन्य कौशल का अन्तरण कराना भी है ;

(III) किसी विषय की बाबत कोई जानकारी, ब्लू प्रिन्ट, योजनाएं या सलाह देना ; और

(IV) कोई अन्य साधन उपलब्ध कराना।

अध्याय II

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना और उसका निगमन

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की स्थापना और उसका निगमन।

3. *(1)* ऐसी तारीख से, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक निगम की स्थापना की जाएगी जो भारतीय निर्यात-आयात बैंक के नाम से ज्ञात होगा।

(2) एक्ज़िम बैंक शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसे संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) एक्ज़िम बैंक का मुख्य कार्यालय मुम्बई में या अन्य ऐसे स्थान पर होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(4) एक्ज़िम बैंक भारत में या भारत के बाहर ऐसे स्थानों पर, जो वह आवश्यक समझे, कार्यालय, शाखाएं या अभिकरण स्थापित कर सकेगा।

प्राधिकृत पूँजी। **4.** *(1)* एक्ज़िम बैंक की प्राधिकृत पूँजी दस हजार करोड़ रुपए होगी :

परन्तु केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा उक्त पूँजी को समय-समय पर आवश्यकतानुसार बढ़ा सकेगी।

(2) एक्ज़िम बैंक की पुरोधृत पूँजी पूर्णत: केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिदत्त की जाएगी ।

CHAPTER III

Management of the Exim Bank

Management.

5. *(1)* The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Exim Bank shall vest in the Board, which may exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by the Exim Bank.

(2) Save as otherwise provided in the regulations made under this Act, -

(a) the chairman, if he is a whole-time director or if he is holding offices both as the chairman and the managing director, or

(b) the managing director, if the chairman is not a whole-time director, or, if the chairman being a whole-time director, is absent,

shall also have powers of general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Exim Bank and may also exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by the Exim Bank.

(3) Subject to the provisions of this Act, the Board in discharging its functions shall act on business principles with due regard to public interest.

(4) In the discharge of its functions under this Act, the Exim Bank shall be guided by such directions in matters of policy involving public interest as the Central Government may give to it in writing.

Constitution of Board.

6. *(1)* The Board of Directors of the Exim Bank shall consist of the following, namely:-

(a) a chairman and a managing director appointed by the Central Government:

Provided that the same person may be appointed to function both as chairman and as managing director;

(aa) two whole-time directors appointed by the Central Government;

(b) one director nominated by the Reserve Bank;

(c) one director nominated by the Development Bank;

(d) one director nominated by the Export Credit and Guarantee Corporation Limited, being a Government Company within the meaning of section 617 of the Companies Act, 1956;

1 of 1956.

(e) not more than twelve directors nominated by the Central Government of whom -

अध्याय III

एक्ज़िम बैंक का प्रबन्ध

प्रबंध

5. *(1)* एक्ज़िम बैंक के कार्यकलाप और कारबार का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध एक निदेशक बोर्ड में निहित होगा जो उन सब शक्तियों का प्रयोग तथा वे सब बातें और कार्य कर सकेगा जिनका एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या जिन्हें एक्ज़िम बैंक कर सकता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय -

(क) यदि अध्यक्ष पूर्णकालिक निदेशक है या यदि वह अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक दोनों पदों को धारण करता है, तो अध्यक्ष, या

(ख) यदि अध्यक्ष पूर्णकालिक निदेशक नहीं है, या यदि अध्यक्ष पूर्णकालिक निदेशक होते हुए अनुपस्थित है, तो प्रबन्ध निदेशक,

को भी एक्ज़िम बैंक के कार्यकलाप और कारबार के साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध की शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उन सभी शक्तियों का प्रयोग और वे सब कार्य और बातें कर सकेगा जिनका एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है और जिन्हें एक्ज़िम बैंक कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, लोक हित का सम्यक् ध्यान रखते हुए कारबार के सिद्धान्तों के अनुसार कार्य करेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में एक्ज़िम बैंक का, लोक हित विषयक नीति के विषयों में, मार्गदर्शन ऐसे निदेशों से होगा जो केन्द्रीय सरकार उसे लिखित रूप में दे।

बोर्ड का गठन

6. *(1)* एक्ज़िम बैंक का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा :

परन्तु एक ही व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक दोनों के रूप में कृत्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ;

(कक) दो पूर्णकालिक निदेशक जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(ख) एक निदेशक जो रिज़र्व बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ग) एक निदेशक जो विकास बैंक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(घ) एक निदेशक जो एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारण्टी कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा, जो कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 617 के अर्थ में एक सरकारी कम्पनी है, नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; (1956 का 1)

(ङ) बारह से अनधिक निदेशक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनमें से -

(i) five directors shall be officials of the Central Government;

(ii) not more than three directors shall be from the scheduled banks;

(iii) not more than four directors shall be persons who have special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof.

(2) The chairman and the managing director or the whole-time director shall hold office for such term, not exceeding five years, as the Central Government may specify in this behalf and any person so appointed shall be eligible for re-appointment.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Central Government shall have the right to terminate the term of office of the chairman or, the managing director, or the whole-time director, as the case may be, at any time before the expiry of the term specified under sub-section (2), by giving him notice of not less than three months in writing or three months' salary and allowances in lieu thereof, and the chairman or the managing director, or the whole-time director, as the case may be, shall also have the right to relinquish his office at any time before the expiry of the term specified under sub-section (2) by giving to the Central Government notice of not less than three months in writing or three months' salary and allowances in lieu thereof.

(4) The chairman and the managing director or the whole-time director shall receive such salary and allowances as may be determined by the Central Government.

(5) The Central Government may, at any time, remove the chairman or the managing director, or the whole-time director, as the case may be, from office:

Provided that no person shall be removed from his office under this sub-section unless he has been given an opportunity of showing cause against his removal.

(6) Subject to the provisions contained in sub-section (7), any director nominated under clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (e) of sub-section (1) and not being an official of Government or not being a whole-time director or official of the Reserve Bank or the Development Bank or the said Export Credit and Guarantee Corporation Limited or a scheduled bank, shall hold office for such term, not exceeding three years, as the Central Government or, as the case may be, the authority nominating him, may specify in this behalf and shall be eligible for re-nomination:

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

(i) पाँच निदेशक केन्द्रीय सरकार के पदधारी होंगे ;

(ii) तीन से अनधिक निदेशक अनुसूचित बैंकों से होंगे ;

(iii) चार से अनधिक निदेशक ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निर्यात या आयात अथवा उसके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या वृत्तिक अनुभव हो।

(2) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या पूर्ण कालिक निदेशक पाँच वर्षों से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारित करेगा जिसे केन्द्र सरकार विनिर्दिष्ट करे और इस प्रकार नियुक्त किसी भी व्यक्ति को पुनर्नियुक्त भी किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को, यथास्थिति, अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक की पदावधि को, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व किसी समय, उसे तीन मास से अन्यून को लिखित सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर समाप्त करने का अधिकार होगा और, यथास्थिति, अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक को भी, उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व किसी समय अपना पद, केन्द्रीय सरकार को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर त्यागने का अधिकार होगा।

(4) अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं।

(5) केन्द्रीय सरकार किसी भी समय, यथास्थिति, अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक को उसके पद से हटा सकेगी:

परन्तु किसी व्यक्ति को इस उपधारा के अधीन अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उसके हटाए जाने के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न दे दिया गया हो।

(6) उपधारा (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप-धारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) अथवा खंड (ङ) के अधीन नामनिर्देशित कोई निदेशक जो सरकार का पदधारी नहीं है या रिज़र्व बैंक या विकास बैंक या उक्त निर्यात प्रत्यय और गारंटी निगम लिमिटेड या किसी अनुसूचित बैंक का अधिकारी नहीं है, ऐसी अवधि तक जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या उसका नामनिर्देशन करने वाला प्राधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट के लिए पदधारित करेगा और वह पुनर्नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा:

परंतु कोई ऐसा निदेशक छह वर्ष से अधिक की अवधि तक निरंतर पद धारण नहीं करेगा।

(7) Any director nominated under this section shall hold office during the pleasure of the authority nominating him.

(8) The Board shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed.

(9) The chairman or, if for any reason he is unable to attend a meeting of the Board, the managing director or, in the event of both the chairman and the managing director being unable to attend a meeting, any other director nominated by the chairman in this behalf and in the absence of such nomination any director elected by the directors present from among themselves, shall preside at the meeting.

(10) All questions which come up before any meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the directors present and voting, and in the event of an equality of votes, the chairman, or in his absence, the managing director, or in the absence of both the chairman and the managing director, the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

(11) Save as otherwise provided in sub-section (10), every director of the Board shall have one vote.

Committees.

7. *(1)* The Board may constitute such Committees whether consisting wholly of directors or wholly of other persons or partly of directors and partly of other persons for such purpose or purposes as it may think fit.

(2) Any Committee constituted under sub-section (1) shall meet at such times and places and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may be prescribed.

Fees and allowances of directors and members of Committees.

8. The directors and the members of a Committee shall be paid such fees and allowances as may be prescribed for attending the Meetings of the Board or of any Committee constituted in pursuance of this Act and for attending to any other work of the Exim Bank:

Provided that no fees shall be payable to the chairman, if he is appointed as a whole-time chairman, or to the managing director or the whole-time director or to any other director or member who is an official of the Government, the Reserve Bank or the Development Bank.

Disqualifications.

9. No person shall be a director of the Board constituted under this Act, who -

(a) is, or at any time has been, adjudged insolvent, or

(7) इस धारा के अधीन नामित कोई निदेशक उसे नामित करनेवाले प्राधिकरण के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा।

(8) बोर्ड के अधिवेशन ऐसे समयों और स्थानों पर होंगे और वह अपने अधिवेशनों में कार्य करने के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।

(9) अध्यक्ष, अथवा यदि वह किसी कारण से बोर्ड के अधिवेशन में हाजिर होने में असमर्थ है तो प्रबन्ध निदेशक, या अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों के अधिवेशनों में हाजिर में असमर्थ होने की दशा में, अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट कोई अन्य निदेशक और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में उपस्थित निदेशकों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई निदेशक अधिवेशन का सभापतित्व करेगा।

(10) बोर्ड के किसी अधिवेशन में उठने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले निदेशकों के बहुमत से किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष का, या उसकी अनुपस्थिति में प्रबन्ध निदेशक का, या अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक दोनों की अनुपस्थिति में, पीठासीन व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।

(11) उपधारा (10) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय बोर्ड के हर निदेशक को एक मत देने का अधिकार होगा।

समितियाँ

7. *(1)* बोर्ड, चाहे तो पूर्णतया निदेशकों से या पूर्णतया अन्य व्यक्तियों से, या भागत: निदेशकों से और भागत: अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनी ऐसी समितियां ऐसे प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए गठित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित किसी समिति के अधिवेशन ऐसे समयों और स्थानों पर होंगे और वह अपने अधिवेशन में कार्य करने के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विहित किए जाएं।

निदेशकों और समितियों के सदस्यों की फीसें और भत्ते।

8. निदेशकों और समिति के सदस्यों को बोर्ड के या इस अधिनियम के अनुसरण में गठित किसी समिति के अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए और एक्ज़िम बैंक का कोई अन्य कार्य करने के लिए ऐसी फीसें और भत्ते दिए जाएंगे जो विहित किए जाएं :

परन्तु अध्यक्ष को, यदि उसे पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, या ऐसे प्रबन्ध निदेशक को या पूर्णकालिक निदेशक को या किसी अन्य निदेशक या सदस्य को, जो सरकार, रिज़र्व बैंक या विकास बैंक का अधिकारी है, कोई फीस संदेय नहीं होगी।

निरर्हता।

9. कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड का निदेशक नहीं होगा, -

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत है या किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है, या

(b) is of unsound mind and has been so declared by a competent court, or

(c) is, or has been, convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude, or

(d) has, in the opinion of the Central Government, so abused his position as a director, as to render his continuance on the Board detrimental to the interests of the general public, or

(e) has been, for any reason, removed from the Board.

CHAPTER IV

Business of the Exim Bank

Business of Exim Bank.

10. *(1)* The Exim Bank may grant in or outside India loans and advances by itself or in participation with any bank or financial institution whether in or outside India for the purposes of export or import and shall also function as the principal financial institution for co-ordinating the working of institutions engaged in financing of the export and import in such manner as it may deem appropriate.

(2) The Exim Bank may also carry on and transact all or any of the following kinds of business, namely:—

(a) granting loans and advances to a scheduled bank or any other bank or financial institution notified in the Official Gazette by the Central Government in this behalf by way of refinance of loans and advances granted by it for purposes of export or import;

(b) underwriting the issue of stocks, shares, bonds or debentures of any company engaged in export or import;

(c) issuing bid bonds or guarantees in or outside India by itself or in participation with any government, bank or financial institution in or outside India;

(d) accepting, collecting, discounting, re-discounting, purchasing, selling or negotiating in or outside India, bills of exchange or promissory notes arising out of transactions relating to export or import and granting of loans and advances in or outside India against such bills or promissory notes;

(e) granting, opening, issuing, confirming or endorsing letters of credit and negotiating or collecting bills and other documents drawn thereunder;

(f) undertaking any transaction involving a combination of government to government and commercial credit for purposes of export or import;

(ख) जो विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित किया गया है, या

(ग) जो ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या ठहराया जा चुका है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, या

(घ) जिसने केन्द्रीय सरकार की राय में, निदेशक के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका बोर्ड में बना रहना जनसाधारण के हितों के लिए अपायकर है, या

(ङ) जिसे किसी कारण से बोर्ड से हटा दिया गया है।

अध्याय IV

एक्ज़िम बैंक का कारबार

एक्ज़िम बैंक का कारबार

10. *(1)* एक्ज़िम बैंक निर्यात या आयात के प्रयोजनों के लिए भारत में या उसके बाहर उधार और अग्रिम धन या तो स्वयं या भारत में या उसके बाहर के किसी बैंक या वित्तीय संस्था के साथ साझेदारी में दे सकेगा और निर्यात और आयात के वित्तपोषण में लगी संस्थाओं के कार्यकरण के समन्वय के लिए प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में भी ऐसी रीति से कार्य करेगा जैसी वह उचित समझे।

(2) एक्ज़िम बैंक निम्नलिखित में से सभी या किसी भांति का कारोबार भी चला सकेगा और कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) किसी अनुसूचित बैंक या किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित की गई है, निर्यात या आयात के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा दिए गए उधारों और अग्रिम धनों की पुनर्वित्तपूर्ति के रूप में उधार और अग्रिम धन देना ;

(ख) निर्यात या आयात में लगी किसी कम्पनी के स्टाकों, शेयरों, बंधपत्रों या डिबेन्चरों की पुरोधृति की हामीदारी करना;

(ग) भारत में या उसके बाहर अपने द्वारा या भारत में या उसके बाहर किसी सरकार, बैंक या वित्तीय संस्था के साथ, साझेदारी में कोई बोली-बन्धपत्र या प्रत्याभूति जारी करना ;

(घ) निर्यात या आयात से संबंधित संव्यवहारों से उद्भूत विनिमयपत्रों या वचनपत्रों का भारत में या उसके बाहर प्रतिग्रहण, संग्रहण, मितिकाटे पर भुगतान, पुन: मितिकाटे पर भुगतान, क्रय, विक्रय या परक्रामण करना और ऐसे विनिमय पत्रों या वचनपत्रों के प्रति भारत में या उसके बाहर उधार और अग्रिम धन देना;

(ङ) प्रत्ययपत्रों का अनुदान, खोलना, जारी करना, पुष्टि करना या पृष्ठांकन करना और उनके अधीन लिखे गए बिलों और अन्य दस्तावेजों का पराक्रमण या संग्रहण ;

(च) निर्यात या आयात के प्रयोजनों के लिए सरकार और सरकार के बीच के और वाणिज्यिक उधार के समुच्चय को अन्तर्वलित करनेवाला कोई संव्यवहार हाथ में लेना;

(g) granting lines of credit to the government of any foreign State or any financial institution or person outside India for purposes of export or import;

(h) granting loans and advances outside India for any Indian joint venture;

(i) granting loans and advances to any person in India in connection with his equity contribution in any joint venture in any country outside India;

(j) financing export or import of machinery and equipment on lease basis;

(k) subscribing to, or investing in, or purchasing of, stocks, shares, bonds or debentures of any development bank or Export-Import Bank of any country outside India;

(l) buying or selling of, or entering into such other dealings in, foreign exchange, as may be necessary for the discharge of its functions;

(m) opening of any account in any bank in or outside India or the making of any agency arrangement with, or acting as an agent or correspondent of, any bank or other institution in or outside India;

(n) transferring, for consideration, any instrument relating to loans and advances granted by it;

(o) issuing participation certificates;

(p) subscribing to, or investing in, or purchasing of stocks, shares, bonds or debentures to the extent necessary for the enforcement of a lien, pledge or other contractual right;

(q) undertaking and financing of research, surveys, techno-economic or any other study in connection with the promotion and development of international trade;

(r) providing technical, administrative and financial assistance of any kind for export or import;

(s) planning, promoting, developing and financing export-oriented concerns;

(t) forming or conducting subsidiaries for carrying out its functions;

(u) acting as agent of the Central Government, any State Government, the Reserve Bank, the Development Bank or any other person as the Central Government may authorise;

(v) collecting, compiling and disseminating market and credit information in respect of international trade;

(छ) निर्यात या आयात के प्रयोजनों के लिए किसी विदेशी राज्य की सरकार को या भारत के बाहर किसी वित्तीय संस्था या व्यक्ति को प्रत्यय की सीमा बांधना;

(ज) किसी भारतीय संयुक्त उद्यम के लिए भारत के बाहर उधार और अग्रिम धन देगा ;

(झ) भारत के बाहर किसी देश में किसी संयुक्त उद्यम में अपने साधारण अभिदाय के संबंध में भारत के किसी व्यक्ति को उधार और अग्रिम धन देना ;

(ञ) पट्टे के आधार पर मशीनरी और उपस्करों के निर्यात या आयात का वित्तपोषण करना ;

(ट) भारत के बाहर किसी देश के किसी विकास बैंक या निर्यात-आयात बैंक के स्टाकों, शेयरों, बन्धपत्रों या डिबेंचरों में अभिदाय या विनिधान करना या उनका क्रय करना ;

(ठ) विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय करना या उसमें ऐसे अन्य कारबार करना जो उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों ;

(ड) भारत में या उसके बाहर के किसी बैंक में कोई खाता खोलना या भारत में या उसके बाहर के किसी बैंक या अन्य संस्था के साथ किसी अभिकरण की व्यवस्था करना या उसके अभिकर्ता या प्रतिस्थानी के रूप में कार्य करना ;

(ढ) अपने द्वारा दिए गए उधारों और अग्रिम धनों से संबंधित किसी लिखत को प्रतिफल लेकर अन्तरित करना;

(ण) साझेदारी-प्रमाणपत्र जारी करना ;

(त) उस विस्तार तक स्टाकों शेयरों, बंधपत्रों या डिबेंचरों में अभिदाय या विनिधान करना या उनका क्रय करना जहां तक धारणाधिकार, गिरवी या अन्य संविदात्मक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आवश्यक हो ;

(थ) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन और विकास के सम्बन्ध में अनुसंधान, सर्वेक्षण, तकनीकी-आर्थिक या अन्य कोई अध्ययन हाथ में लेना और उसका वित्तपोषण करना ;

(द) निर्यात या आयात के लिए किसी प्रकार की तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय सहायता का उपबन्ध करना ;

(ध) निर्यातोन्मुखी समुत्थानों की योजना बनाना, उनका संवर्धन, विकास और वित्त-पोषण करना ;

(न) अपने कृत्यों के पालन के लिए समनुषंगियों की स्थापना और उनका संचालन करना ;

(प) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, रिज़र्व बैंक, विकास बैंक या किसी अन्य व्यक्ति के, जिसे केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत करे, अभिकर्ता के रूप में कार्य करना ;

(फ) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की बाबत बाज़ार और ऋण सम्बन्धी जानकारी का संग्रह, संकलन और प्रसार करना ;

(w) doing any other kind of business which the Central Government may authorise;

(x) generally doing such other acts and things as may be incidental to, or consequential upon, the exercise of its powers or the discharge of its duties under this Act or any other law for the time being in force, including sale or transfer of any of its assets.

(3) The Exim Bank may receive in consideration of any of the services mentioned in sub-sections (1) and (2) such commission, brokerage, interest, remuneration or fees as may be agreed upon.

(4) The Exim Bank shall not grant any loan or advance or other financial accommodation on the security of its own bonds or debentures.

CHAPTER V

Resources of the Exim Bank

Loans by Central Government.

11. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, advance to the Exim Bank -

(a) a loan of twenty crores of rupees at a rate of interest of five and a quarter per cent per annum repayable in fifteen equal annual instalments, commencing on the expiry of a period of fifteen years from the date of receipt of the loan; and

(b) such further sums of money by way of loan on such terms and conditions as may be agreed upon:

Provided that the Central Government may, on a request being made to it by the Exim Bank, increase the number of instalments or alter the amount of any instalment or vary the date on which any instalment is payable under clause (a).

Borrowings and acceptance of deposits by Exim Bank.

12. *(1)* The Exim Bank may, for the purposes of carrying out its functions under this Act, -

(a) issue and sell bonds and debentures with or without the guarantee of the Central Government;

(b) borrow money from the Reserve Bank –

(i) repayable on demand or on the expiry of fixed periods not exceeding ninety days from the date on which the money is so borrowed against the security of stocks, funds and securities (other than immovable property) in which a trustee is authorised to invest trust money by any law for the time being in force in India;

(*ब*) किसी अन्य प्रकार का कारबार करना जिसे केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत करे ;

(*भ*) साधारणतया, ऐसे अन्य कार्य या बातें करना जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग या उसके कर्तव्यों के निर्वहन की आनुषंगिक या परिणामिक हों जिनके अन्तर्गत उसकी किन्हीं आस्तियों का विक्रय या अन्तरण है।

(*3*) एक्ज़िम बैंक उपधारा (1) और (2) में वर्णित सेवाओं में से किसी के प्रतिफलस्वरूप ऐसा कमीशन दलाली, ब्याज, पारिश्रमिक या फीसें ले सकेगा जिसका करार हो।

(*4*) एक्ज़िम बैंक स्वयं अपने बन्धपत्रों या डिबेंचरों की प्रतिभूति पर कोई उधार या अग्रिम धन या कोई अन्य वित्तीय सौकर्य प्रदान नहीं करेगा।

अध्याय V

एक्ज़िम बैंक के संसाधन

केन्द्रीय सरकार द्वारा उधार दिया जाना।

11. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, एक्ज़िम बैंक को -

(*क*) बीस करोड़ रुपए का उधार सवा पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर दे सकेगी जो बराबर की पन्द्रह वार्षिक किस्तों में प्रतिसंदेय होगा ये किश्तें उधार की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के अवसान पर प्रारम्भ होंगी ; और

(*ख*) उधार के रूप में ऐसी अतिरिक्त धन राशियां, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर दे सकेगी, जो करार में पाई जाएं:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, एक्ज़िम बैंक द्वारा अपने से अनुरोध किए जाने पर, खंड (क) के अधीन किस्तों की संख्या बढ़ा सकेगी या किसी किस्त की रकम परिवर्तित कर सकेगी या उस तारीख को बदल सकेगी जिसको कोई किस्त देय है।

एक्ज़ि बैंक द्वारा उधार लिया जाना और निक्षेपों का प्रतिग्रहण।

12. (*1*) एक्ज़िम बैंक इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों से -

(*क*) केन्द्रीय सरकार की प्रत्याभूति के सहित या उससे रहित बन्धपत्र और डिबेंचर पुरोधृत कर सकेगा, और उनका विक्रय कर सकेगा ;

(*ख*) रिज़र्व बैंक से -

(*i*) ऐसे स्टाकों, निधियों और (स्थावर सम्पत्ति से भिन्न) प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर, जिनमें न्यास-धन विनिहित करने के लिए कोई न्यासी भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अधिकृत है, ऐसा धन उधार ले सकेगा जो माँग किये जाने पर या इस प्रकार धन उधार लिए जाने की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की नियत अवधियों के अवसान पर प्रतिसंदेय हो;

(ii) against bills of exchange or promissory notes arising out of bonafide commercial or trade transactions and bearing two or more good signatures and maturing within five years from the date of the borrowing;

2 of 1934.

(iii) out of the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund established under section 46C of the Reserve Bank of India Act, 1934 for any of the purposes specified in that section;

(c) borrow money from such other authority, organisation or institution in India as may generally or specially be approved by the Central Government;

(d) accept deposits repayable after the expiry of a period which shall not be less than twelve months from the date of the making of the deposit on such terms as may generally or specially be approved by the Reserve Bank.

(2) The Central Government may, on a request being made to it by the Exim Bank, guarantee the bonds and debentures issued by that Bank as to the repayment of principal and the payment of interest at such rate as may be fixed by that Government.

Loans in foreign currency. 46 of 1973.

13. Notwithstanding anything contained in the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 or in any other law for the time being in force relating to foreign exchange, the Exim Bank may, for the purpose of granting loans and advances under this Act, borrow, with the previous consent of the Central Government, foreign currency from any foreign State or from any bank or financial institution in any foreign country or otherwise.

Grants, donations, etc., to Exim Bank.

14. The Exim Bank may receive gifts, grants, donations or benefactions from Government or any other source in or outside India.

CHAPTER VI

Export Development Fund

Export Development Fund.

15. With effect from such date as the Central Government may, by notification, appoint, the Exim Bank shall establish a special fund to be called the Export Development Fund.

Credits to Export Development Fund.

16. To the Export Development Fund shall be credited -

(a) all amounts received for the purposes of that Fund by way of loans, gifts, grants, donations or benefactions from Government or any other source in or outside India;

(b) repayments or recoveries in respect of loans, advances or other facilities granted from the Fund;

(ii) ऐसे विनिमयपत्रों या वचनपत्रों पर धन उधार ले सकेगा जो सद्‌भाविक वाणिज्यिक या व्यापारिक संव्यवहारों में लिखे जाएं, जिन पर दो या अधिक मान्य हस्ताक्षर हों और जो उधार लिए जाने की तारीख से पाँच वर्ष के भीतर परिपक्व होते हों ;

1934 का 2

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 46ग के अधीन स्थापित राष्ट्रीय औद्योगिक प्रत्यय (दीर्घकालिक प्रवर्तन) निधि में से, उस धारा में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए धन उधार ले सकेगा;

(ग) भारत में ऐसे अन्य प्राधिकरण, संगठन या संस्था से धन उधार ले सकेगा जिसे केन्द्रीय सरकार, साधारणतया या विशेषतया, अनुमोदित करे ;

(घ) ऐसी कालावधि के अवसान के पश्चात्, जो निक्षेप किए जाने की तारीख से बारह मास से कम की नहीं होगी, निबन्धनों पर, जो रिज़र्व बैंक द्वारा, साधारणतया या विशेषतया, अनुमोदित किए जाएं, प्रतिसंदेय निक्षेप प्रतिगृहीत कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, एक्ज़िम बैंक द्वारा अपने अनुरोध किये जाने पर, उस बैंक द्वारा पुरोधृत बन्धपत्रों और डिबेंचरों के मूलधन के प्रतिसंदाय और ऐसी दर से, जो केन्द्रीय सरकार नियत करे, ब्याज के संदाय की बाबत प्रत्याभूति कर सकेगी।

विदेशी करेंसी का उधार। 1973 का 46

13. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में या विदेशी मुद्रा से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी एक्ज़िम बैंक, इस अधिनियम के अधीन उधार और अग्रिम धन देने के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सरकार की पूर्व सम्मति से किसी विदेशी राज्य या किसी विदेश में के किसी बैंक या वित्तीय संस्था से या अन्यथा, विदेशी करेंसी उधार ले सकेगा।

एक्ज़िम बैंक को अनुदान, संदान आदि।

14. एक्ज़िम बैंक भारत में या उसके बाहर सरकार या किसी अन्य स्त्रोत से दान, अनुदान, संदान या उपकृति प्राप्त कर सकेगा।

अध्याय VI

निर्यात विकास निधि

निर्यात विकास निधि।

15. एक्ज़िम बैंक ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे एक विशेष निधि स्थापित करेगा जिसका नाम निर्यात विकास निधि होगा।

निर्यात विकास निधि में जमा किया जाना।

16. निर्यात विकास निधि में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे -

(क) उस निधि के प्रयोजनार्थ भारत में या उसके बाहर सरकार से या किसी अन्य स्त्रोत से उधार, दान, अनुदान, संदान या उपकृति के रूप में प्राप्त सभी रकमें;

(ख) उस निधि से दिए गए उधारों, अग्रिम धनों या अन्य सुविधाओं के बारे में प्रतिसंदाय या वसूलियाँ;

(c) income or profits from investments made from the Fund; and

(d) income accruing or arising to the Fund by way of interest or otherwise, on account of the application of the Fund in accordance with the provisions of section 17.

Utilisation of Export Development Fund.

17. *(1)* Where the Exim Bank considers it necessary or desirable so to do, it may, subject to the provisions of sub-sections (2) and (3), disburse or spend from the Export Development Fund any amount on account or in consequence of the grant of any loan or advance, or on account or in consequence of entering into any arrangement under sub-section (1) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (q) or clause (r) or clause (s) or clause (w) or clause (x) of sub-section (2) of section 10:

Provided that before granting any such loan or advance or entering into any such arrangement, the Exim Bank shall obtain the prior approval of the Central Government.

(2) Before seeking the approval of the Central Government under sub-section (1), the Exim Bank shall satisfy itself that banking or other financial institutions or other agencies are not likely to grant such loan or advance, or to enter into any such arrangement in the ordinary course of business.

(3) The Central Government shall, before giving its approval, satisfy itself that such loan, advance or arrangement is necessary as a matter of priority in the interests of the international trade of the country.

(4) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing contained in this section shall be deemed to preclude the Exim Bank from granting any loan or advance or from entering into any arrangement under sub-section (1) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (q) or clause (r) or clause (s) or clause (w) or clause (x) of sub-section (2) of section 10 without the approval of the Central Government, if no amount in respect thereof is to be disbursed or spent from the Export Development Fund.

Debits to Export Development Fund.

18. *(1)* To the Export Development Fund shall be debited -

(a) such amounts as may from time to time be disbursed or spent under sub-section (1) of section 17;

(b) such amounts as may be required for discharging the liabilities in respect of loans received for the purposes of that Fund;

(c) any loss arising on account of investment made out of that Fund; and

(d) such expenditure arising out of, or in connection with, the administration and application of the Fund as may be determined by the Board.

(ग) उस निधि में से किए गए विनिधानों से होनेवाली आय या लाभ ; और

(घ) धारा 17 के उपबन्धों के अनुसार उस निधि के उपयोजन से ब्याज के रूप में या अन्यथा प्रोद्भूत या उद्भूत होनेवाली आय।

निर्यात विकास निधि का उपयोग

17. *(1)* जहां एक्ज़िम बैंक ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझे वहां वह उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, निर्यात विकास निधि में से धारा 10 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (थ) या खंड (द) या खंड (ध) या खंड (ब) या खंड (भ) के अधीन किसी उधार या अग्रिम के अनुदान मद्दे या उसके फलस्वरूप अथवा उसके अधीन कोई ठहराव करने के मद्दे या उसके फलस्वरूप कोई रकम निर्यात विकास निधि में से संवितरित या व्यय कर सकेगा :

परन्तु एक्ज़िम बैंक ऐसा उधार या अग्रिम देने या कोई ऐसा ठहराव करने से पहले केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन मांगने के पहले एक्ज़िम बैंक इस बारे में अपना समाधान कर लेगा कि यह सम्भावना नहीं है कि बैंककारी या अन्य वित्तीय संस्थाएं या अन्य अभिकरण अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में ऐसा उधार या अग्रिम देंगे अथवा कोई ऐसा ठहराव करेंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार अपना अनुमोदन देने के पहले इस बारे में अपना समाधान कर लेगी कि ऐसा उधार या अग्रिम धन या व्यवस्था देश के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के हित में, पूर्विकता के आधार पर आवश्यक है।

(4) शंकाओं के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस धारा की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह एक्ज़िम बैंक को, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बिना, धारा 10 की उपधारा (1) या उप-धारा (2) के खण्ड (ख) या खंड (ग) या खण्ड (घ) या खंड (थ) या खंड (द) या खंड (ध) या खंड (ब) या खंड (भ) के अधीन कोई उधार या अग्रिम देने या कोई ठहराव करने से उस दशा में प्रवारित करती है जबकि उसके बारे में कोई रकम निर्यात विकास निधि से संवितरित या व्यय नहीं की जानी है।

निर्यात विकास निधि के प्रति विकलन।

18. *(1)* निर्यात विकास निधि के प्रति निम्नलिखित का विकलन किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) ऐसी रकमें जो धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन समय-समय पर संवितरित या व्यय की जाएं;

(ख) ऐसी रकमें जो उस निधि के प्रयोजनों के लिए प्राप्त उधारों से सम्बन्धित दायित्वों के निर्वहन के लिए अपेक्षित हों;

(ग) उस निधि में से किए गए विनिधान के कारण उद्भूत होने वाली कोई हानि; और

(घ) निधि के प्रशासन और उपयोजन से या उनके सम्बन्ध में उद्भूत होने वाला ऐसा व्यय, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) No amount shall be debited to the Export Development Fund except as provided for in sub-section (1).

Accounts and audit of Export Development Fund.

19. *(1)* The balance-sheet and accounts of the Export Development Fund shall be prepared in such form and manner as may be prescribed.

(2) The Board shall cause the books and accounts of the Export Development Fund to be closed and balanced as on the 31st day of December or such other date in each year as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

Provided that with a view to facilitating the transition from one period of accounting to another period of accounting under this sub-section, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions as it considers necessary or expedient for the closing and balancing of, or for other matters relating to, the books or accounts in respect of the concerned years.

(3) The Export Development Fund shall be audited by one or more auditors appointed by the Central Government under section 24 who shall make a separate report thereon.

(4) The provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (6) of section 24 shall, so far as may be, apply in relation to the audit of the Export Development Fund.

(5) The Exim Bank shall furnish to the Central Government, within four months from the date on which the accounts of the Export Development Fund are closed and balanced, a copy of the balance-sheet and accounts together with a copy of the auditors' report and a report on the operation of the Fund during the relevant year and the Central Government shall, as soon as may be after they are received by it, cause the same to be laid before each House of Parliament.

Liquidation of Export Development Fund.

20. The Export Development Fund shall not be closed or wound up save by order of the Central Government and in such manner as that Government may direct.

CHAPTER VII

General Fund, Accounts and Audit

General Fund.

21. All receipts of the Exim Bank other than those which are to be credited to the Export Development Fund under this Act shall be credited to a Fund to be called the General Fund and all payments by the Exim Bank, other than those which are to be debited to the Export Development Fund, shall be made out of the General Fund.

(2) उप-धारा (1) में जैसा उपबन्धित है उनके सिवाय कोई रकम निर्यात विकास निधि के प्रति विकलित नहीं की जाएगी।

निर्यात विकास निधि का लेखा और लेखा परीक्षा।

19. *(1)* निर्यात विकास निधि का तुलनपत्र और लेखा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तैयार किया जाएगा जो विहित की जाए।

(2) बोर्ड निर्यात विकास निधि की बहियों और लेखा को प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर को या ऐसी अन्य तारीख को जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, को बंद और संतुलित कराएगा।

परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उप-धारा के अधीन, एक लेखा अवधि से दूसरी लेखा अवधि को संक्रमण को सुकर बनाने की दृष्टि से, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो वह संबंधित वर्षों की बाबत बहियों या लेखाओं को बंद और संतुलित करने के लिए, या उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए, आवश्यक या समीचीन समझती है।

(3) निर्यात विकास निधि की लेखापरीक्षा केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 24 के अधीन नियुक्त किए गए एक या अधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी जो उसकी बाबत पृथक रिपोर्ट देंगे।

(4) धारा 24 की उपधारा (2) उप-धारा (3), उप-धारा (4) और उप-धारा (6) के उपबन्ध, यावत्शक्य, निर्यात विकास निधि की लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(5) एक्ज़िम बैंक तुलनपत्र तथा लेखा की एक प्रति और साथ में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति और सुसंगत वर्ष के दौरान निधि की संक्रिया की बाबत एक रिपोर्ट उस तारीख से जिसको निर्यात विकास निधि का लेखा बन्द और संतुलित किया जाता है चार मास के भीतर, केन्द्रीय सरकार को देगा तथा केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा उनके प्राप्त हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

निर्यात विकास निधि का समापन।

20. निर्यात विकास निधि को, केन्द्रीय सरकार के आदेश से और ऐसी रीति से ही, जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, बंद या परिसमापित किया जाएगा अन्यथा नहीं।

अध्याय VII

साधारण निधि, लेखा और लेखापरीक्षा

साधारण निधि

21. एक्ज़िम बैंक की ऐसी सभी प्राप्तियां जो उनसे भिन्न हैं जिन्हें इस अधिनियम के अधीन निर्यात निधि में जमा करना है, एक निधि में जमा की जाएंगी जिसे साधारण निधि कहा जाएगा और एक्ज़िम बैंक द्वारा किए गए ऐसे सभी संदाय, जो उनसे भिन्न हैं, जिन्हें निर्यात विकास निधि के प्रति विकलित किया जाना है, साधारण निधि में से किए जाएंगे।

Preparation of accounts and balance-sheet.

22. *(1)* The balance-sheet and accounts of the Exim Bank shall be prepared in such form and manner as may be prescribed.

(2) The Board shall cause the books and accounts of the Exim Bank to be closed and balanced as on the 31st day of December or such other date in each year as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

Provided that with a view to facilitating the transition from one period of accounting to another period of accounting under this sub-section, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions as it considers necessary or expedient for the closing and balancing of, or for other matters relating to, the books or accounts in respect of the concerned years.

Disposal of profits accruing to General Fund.

23. *(1)* The Exim Bank may establish a Reserve Fund to which may be transferred such sums as that Bank may deem fit out of the annual profits accruing to the General Fund.

(2) After making provision for bad and doubtful debts, depreciation of assets and for all other matters for which provision is necessary or expedient or which is usually provided for by bankers and for the Reserve Fund referred to in sub-section (1), the Exim Bank shall transfer the balance of the net profits to the Central Government.

Audit.

1 of 1956.

24. *(1)* The accounts of the Exim Bank shall be audited by auditors duly qualified to act as auditors under sub-section (1) of section 226 of the Companies Act, 1956, who shall be appointed by the Central Government for such term and on such remuneration as the Central Government may fix.

(2) The auditors shall be supplied with a copy of the annual balance-sheet of the Exim Bank and it shall be their duty to examine it together with the accounts and vouchers relating thereto and they shall have a list delivered to them of all books kept by the Exim Bank and shall at all reasonable times have access to the books, accounts, vouchers and other documents of the Exim Bank.

(3) The auditors may, in relation to such accounts, examine any director or any officer or other employee of the Exim Bank and shall be entitled to require from the Board or officer or other employee of the Exim Bank such information and explanation as they may think necessary for the performance of their duties.

(4) The auditors shall make a report to the Exim Bank upon the annual balance-sheet and accounts examined by them and in every such report they shall state whether in their opinion the balance-sheet is a full and fair balance-sheet containing all necessary particulars and properly drawn up so as to exhibit a true and fair view

लेखा और तुलनपत्र तैयार करना।

22. *(1)* एक्ज़िम बैंक का तुलनपत्र और उसके लेखे ऐसे प्ररूप में और ऐसी विधि से तैयार किये जाएंगे जो विहित की जाएं।

(2) बोर्ड एक्ज़िम बैंक की लेखा बहियों और लेखा को प्रति वर्ष 31 दिसम्बर को या ऐसी अन्य तारीख को जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, को बंद और संतुलित करायेगा।

परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उप-धारा के अधीन, एक लेखा अवधि से दूसरी लेखा अवधि को संक्रमण को सुकर बनाने की दृष्टि से राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो वह संबंधित वर्षों की बाबत बहियों या लेखाओं को बंद और संतुलित करने के लिए, या उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए, आवश्यक या समीचीन समझती है।

साधारण निधि को प्रोद्भूत होने वाले लाभों का व्ययन।

23. *(1)* एक्ज़िम बैंक एक आरक्षित निधि की स्थापना कर सकेगा जिसमें साधारण निधि को प्रोद्भूत होने वाले वार्षिक लाभों में से ऐसी राशियाँ, जो वह बैंक ठीक समझे, अंतरित की जा सकेंगी।

(2) डूबंत और शंकास्पद ऋणों, आस्तियों के अवक्षयण और उन सब बातों के लिए जिनके लिए उपबन्ध आवश्यक या समीचीन हो, या जिनके लिए बैंकरों द्वारा प्राय: उपबंध किया जाता है और उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आरक्षित निधि के लिए उपबंध करने के पश्चात एक्ज़िम बैंक, शुद्ध लाभों का अतिशेष केन्द्रीय सरकार को अन्तरित करेगा।

लेखा परीक्षा ।
1956 का 1

24. *(1)* एक्ज़िम बैंक के लेखा की लेखापरीक्षा, कम्पनी आधिनियम, 1956 की धारा 226 की उप-धारा (1) के अधीन लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से अर्हित लेखापरीक्षकों द्वारा की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अवधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त किए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार नियत करे।

(2) लेखापरीक्षकों को एक्ज़िम बैंक के वार्षिक तुलनपत्र की एक प्रति दी जाएगी और उनका यह कर्तव्य होगा कि वे उससे संबंधित लेखा और वाउचरों सहित उसकी परीक्षा करे और उन्हें एक्ज़िम बैंक द्वारा रखी गई सभी बहियों को एक सूची परिदत्त की जाएगी और एक्ज़िम बैंक की बहियां लेखा, वाउचर और अन्य दस्तावेज सब युक्तियुक्त समयों पर उनकी पहुंच में होंगे।

(3) लेखापरीक्षक, ऐसे लेखा के संबंध में एक्ज़िम बैंक के किसी निदेशक या अधिकारी या अन्य कर्मचारी की परीक्षा कर सकेंगे और बोर्ड से या एक्ज़िम बैंक के अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने के हकदार होंगे जो वे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझें।

(4) लेखापरीक्षक अपने द्वारा परीक्षित वार्षिक तुलनपत्र और लेखा के बारे में एक्ज़िम बैंक को रिपोर्ट देंगे और ऐसी हर रिपोर्ट में वे यह कथन करेंगे कि क्या उनकी राय में, तुलनपत्र सब आवश्यक विशिष्टियों से युक्त पूरा और ठीक तुलनपत्र है और ऐसे उचित रूप में तैयार किया गया है कि उससे एक्ज़िम बैंक के कामकाज की सच्ची और यथार्थ स्थिति प्रदर्शित होती है और यदि उन्होंने बोर्ड से या एक्ज़िम बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कोई जानकारी या स्पष्टीकरण मांगा था तो क्या वह दिया गया है और क्या वह समाधानप्रद है।

of the state of affairs of the Exim Bank and in case they had called for any explanation or information from the Board or any officer or other employee of the Exim Bank whether it has been given and whether it is satisfactory.

(5) The Exim Bank shall furnish to the Central Government within four months from the date on which its accounts are closed and balanced, a copy of its balance-sheet and accounts together with a copy of the auditors' report and a report of the working of the Exim Bank during the relevant year, and the Central Government shall, as soon as may be after they are received by it, cause the same to be laid before each House of Parliament.

(6) Without prejudice to anything contained in the preceding sub-sections, the Central Government may, at any time, appoint the Comptroller and Auditor-General of India to examine and report upon the accounts of the Exim Bank and any expenditure incurred by him in connection with such examination and report shall be payable by the Exim Bank to the Comptroller and Auditor-General of India.

Saving.

25. Save as otherwise provided in sub-section (4) of section 19, nothing contained in this Chapter shall apply to the Export Development Fund.

CHAPTER VIII

Transfer of part of business of Development Bank.

Transfer of part of business of Development Bank.

26. *(1)* On such date as the Central Government may, by notification, appoint, all business, property, assets and liabilities, rights, interests, privileges and obligations of whatever nature of the Development Bank in so far as they relate to the export financing functions of that Bank shall stand transferred to, and vest in, the Exim Bank.

(2) For the transfer to, and vesting in, the Exim Bank under sub-section (1), the Exim Bank shall pay to the Development Bank such amount in such manner and in such number of instalments as may be determined by the Central Government.

(3) All contracts, deeds, bonds, agreements, powers-of-attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature of the Development Bank which relate to the export financing functions of that Bank and which are subsisting or having effect immediately before the date referred to in sub-section (1) and to which the said Bank is a party or which are in favour of that Bank shall,-

(a) if they relate exclusively to the export financing functions of that Bank, be of full force and effect against or in favour of the Exim Bank, as the case may be, and may be enforced and acted upon as fully and effectively as if instead of the Development Bank the Exim Bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the Exim Bank; and

(5) एक्ज़िम बैंक, अपने तुलनपत्र और लेखा की एक प्रति और साथ में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति और सुसंगत वर्ष के दौरान एक्ज़िम बैंक के कामकाज की रिपोर्ट वार्षिक लेखा के बंद और संतुलित किए जाने की तारीख से चार मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को देगा और केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा उनके प्राप्त होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं की किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को, एक्ज़िम बैंक के लेखाओं की परीक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट देने के लिए, किसी भी समय नियुक्त कर सकेगी और ऐसी परीक्षा तथा ऐसी रिपोर्ट के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को एक्ज़िम बैंक द्वारा संदेय होगा।

व्यावृत्ति।

25. धारा 19 की उपधारा (4) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, इस अध्याय में अन्तर्विष्ट कोई बात निर्यात विकास निधि को लागू नहीं होगी।

अध्याय VIII

विकास बैंक के कारबार के भाग का अन्तरण

विकास बैंक के कारोबार के भाग का अन्तरण।

26. *(1)* उस तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें, विकास बैंक के सभी कारबार, सम्पत्ति, आस्तियां और दायित्व, अधिकार, हित, विशेषाधिकार और बाध्यताएं, चाहे वे जिस प्रकार की हों, जहां तक उनका संबंध उस बैंक के निर्यात वित्तपोषण कृत्यों से है, एक्ज़िम बैंक को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन एक्ज़िम बैंक को अन्तरित और उसमें निहित किए जाने के लिए, एक्ज़िम बैंक, विकास बैंक को ऐसी रकम ऐसी रीति से और उतनी किस्तों में संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार अवधारित करें।

(3) विकास बैंक की सभी संविदाएं, विलेख, बन्धपत्र, करार, मुख्तारनामे, विधिक प्रतिनिधित्व के अनुदान और अन्य लिखतें, चाहे वे जिस प्रकार की हों, जिनका सम्बन्ध उस बैंक के निर्यात वित्तपोषण कृत्यों से है और जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व विद्यमान हैं या प्रभावशील हैं और जिनकी बाबत उक्त बैंक एक पक्षकार है या जो उस बैंक के पक्ष में है -

(क) यदि वे अनन्य रूप से उस बैंक के निर्यात वित्तपोषण कृत्यों से सम्बन्धित है तो, यथास्थिति, एक्ज़िम बैंक के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्ण प्रवृत्त और प्रभावशील होंगी तथा उन्हें पूर्णत: और प्रभावी रूप से वैसे ही प्रवृत्त किया जा सकेगा और उनकी बाबत, वैसे ही कार्रवाई की जा सकेगी, मानो उनमें विकास बैंक की बजाय एक्ज़िम बैंक पक्षकार था या मानो वे एक्ज़िम बैंक के पक्ष में जारी की गई थी; और

(b) if they relate not only to the export financing functions of the Development Bank but also to any of the other functions of that Bank, be of full force and effect against or in favour of both the Development Bank and the Exim Bank and may be enforced or acted upon as fully and effectively as if in addition to the Development Bank the Exim Bank had also been a party thereto or as if they had been issued in favour of the Development Bank and also the Exim Bank.

(4) If, on the date referred to in sub-section (1), any suit, appeal or other legal proceeding of whatever nature relating to the export financing functions of the Development Bank is pending, the same shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the Exim Bank of the business of the Development Bank or of anything contained in this Act, but the suit, appeal or other proceeding may,-

(a) where it relates exclusively to the export financing functions of the Development Bank, be continued, prosecuted and enforced by or against the Exim Bank; and

(b) where it relates not only to the export financing functions of the Development Bank but also to any of the other functions of that Bank, be continued, prosecuted and enforced by or against the Development Bank and the Exim Bank or, if the Central Government by special order in writing so directs, by or against such one of the said two Banks, as may be specified in such order.

(5) If any question arises as to whether any contract, deed, bond, agreement, powers-of-attorney, grant of legal representation or other instrument referred to in sub-section (3) or any suit, appeal or other legal proceeding referred to in sub-section (4) relates or relates exclusively to the export financing functions of the Development Bank, it shall be referred to the Central Government for decision and the decision of the Central Government thereon shall be final.

(6) The provisions of this section shall have effect notwithstanding anything contained in the Industrial Development Bank of India Act, 1964 or any other law or any instrument having force by virtue of the said Act or other law.

18 of 1964.

(ख) यदि वे विकास बैंक के निर्यात वित्तपोषण कृत्यों से ही सम्बन्धित नहीं है किन्तु उस बैंक के किन्हीं अन्य कृत्यों से भी संबंधित हैं, तो विकास बैंक और एक्ज़िम बैंक दोनों ही के विरुद्ध या उनके पक्ष में पूर्ण प्रवृत्त और प्रभावशील होंगी तथा वे पूर्णत: और प्रभावी रूप से वैसे ही प्रवृत्त की जा सकेगी या उनकी बाबत वैसे ही कार्रवाई की जा सकेगी मानो विकास बैंक के अतिरिक्त एक्ज़िम बैंक भी उनमें एक पक्षकार था या मानो वे विकास बैंक के ही नहीं बल्कि एक्ज़िम बैंक के पक्ष में भी जारी की गई थीं।

(4) यदि उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तारीख को विकास बैंक के निर्यात वित्तपोषण कृत्यों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का कोई वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही लम्बित है तो न ही उसका उपशमन होगा, न उसे बन्द किया जाएगा अथवा न ही विकास बैंक के कारोबार के एक्ज़िम बैंक को अन्तरित किए जाने के फलस्वरूप या इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस पर किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, किन्तु वह वाद, अपील या अन्य कार्यवाही -

(क) जहां वह अनन्य रूप से विकास बैंक के निर्यात वित्तपोषण कृत्यों से संबंधित है वहां उसे एक्ज़िम बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी, आगे चलाई जा सकेगी या प्रवर्तित की जा सकेगी; और

(ख) जहां वह विकास बैंक के निर्यात वित्तपोषण कृत्यों से ही संबन्धित नहीं है किन्तु उस बैंक के किन्हीं अन्य कृत्यों से भी सम्बन्धित है, वहां उसे विकास बैंक और एक्ज़िम बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध या यदि केन्द्रीय सरकार लिखित रूप में विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश करे उक्त दोनों बैंकों में से ऐसे एक बैंक द्वारा या उसके विरुद्ध, जो उस आदेश में प्रवर्तित की जा सकेगी।

(5) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कोई संविदा, विलेख, बन्धपत्र, करार, मुख्तारनामे, विधिक प्रतिनिधित्व का अनुदान या अन्य लिखत या उपधारा (4) में निर्दिष्ट कोई वाद, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही विकास बैंक के निर्यात वित्तपोषण कृत्यों से सम्बन्धित है या अनन्य रूप से सम्बन्धित है, तो उसे विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

1964 का 18

(6) इस धारा के उपबन्ध भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 या किसी अन्य विधि या उक्त अधिनियम या अन्य विधि के आधार पर विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

CHAPTER IX

Miscellaneous

Staff of Exim Bank.

27. *(1)* The Exim Bank may appoint such number of officers and other employees as it considers necessary or desirable for the efficient performance of its functions and determine the terms and conditions of their appointment and service.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), it shall be lawful for the Exim Bank to utilise, and for the Development Bank to make available the services of, such staff of the Development Bank having experience relating to export financing functions on such terms and conditions as may be agreed upon between the Exim Bank and the Development Bank.

(3) The duties and conduct, terms and conditions of service and the establishment and maintenance of a provident Fund or any other Fund for the benefit of the officers and other employees of the Exim Bank shall be such as may be prescribed.

Delegation of powers.

28. The Board may, by general or special order, delegate to any director or any officer or other employee of the Exim Bank, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act as it may deem necessary.

Returns.

29. The Exim Bank shall furnish, from time to time, to the Central Government such returns as the Central Government may require.

Obligation as to fidelity.

30. *(1)* The Exim Bank shall not, except as otherwise required by this Act or any other law, divulge any information relating to, or to the affairs of, its constituents except in circumstances in which it is, in accordance with the law or practice and usage customary among bankers, necessary or appropriate for the Exim Bank to divulge such information.

(2) The Exim Bank may, for the purpose of efficient discharge of its functions under this Act, collect from, or furnish to, the Central Government, the Development Bank or any scheduled bank or such other financial institution, as may be notified in the Official Gazette by the Central Government in this behalf, credit information or other information as it may consider useful for the purpose, in such manner and at such times, as it may think fit.

2 of 1934.

Explanation. - For the purpose of this sub-section, the expression "credit information" shall have the same meaning as in clause (c) of section 45A of the Reserve Bank of India Act, 1934, subject to the modification that "banking company" referred to therein shall mean the Development Bank, any scheduled bank or other financial institution as aforesaid.

अध्याय IX

प्रकीर्ण (अन्य)

एक्ज़िम बैंक के कर्मचारीवृन्द।

27. *(1)* एक्ज़िम बैंक उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक या वांछनीय समझे और वह उनको नियुक्ति तथा सेवा के निबन्धन और शर्तें अवधारित कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विकास बैंक के ऐसे कर्मचारीवृन्द की सेवाओं का, जिन्हें निर्यात वित्तपोषण कृत्यों से संबंधित है, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन पर विकास बैंक और एक्ज़िम बैंक के बीच करार हो जाए, उपयोग करना एक्ज़िम बैंक के लिए और उपलब्ध कराना, विकास बैंक के लिए विधिपूर्ण होगा।

(3) एक्ज़िम बैंक के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य और आचरण सेवा की शर्तें और निबंधन तथा उनके फायदे के लिए भविष्य निधि या किसी अन्य निधि की स्थापना करना और उसे बनाए रखना, इस प्रकार होगा, जो विहित किया जाएगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

28. बोर्ड, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, एक्ज़िम बैंक के किसी निदेशक या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

विवरणियाँ

29. एक्ज़िम बैंक केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर ऐसी विवरणियां देगा जिनकी केन्द्रीय सरकार अपेक्षा करे।

विश्वसनीयता और गोपनीयता की बाबत बाध्यता।

30. *(1)* इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा जैसा अन्यथा अपेक्षित है उसके सिवाय, एक्ज़िम बैंक अपने ग्राहकों के सम्बन्ध में या उनके कार्यकलापों के सम्बन्ध में कोई जानकारी तब के सिवाय प्रकट नहीं करेगा जबकि परिस्थितियां ऐसी हों जिनमें विधि या बैंककारों की रूढ़िगत पद्धतियों और प्रथाओं के अनुसार एक्ज़िम बैंक के लिए ऐसी जानकारी प्रकट करना आवश्यक या समुचित हो।

(2) एक्ज़िम बैंक, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, विकास बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या ऐसी, अन्य वित्तीय संस्था से या को, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित करे, प्रत्यय विषयक जानकारी या अन्य जानकारी जो उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त समझी जाए, ऐसी रीति से और ऐसे समयों पर, जो वह ठीक समझे, संगृहीत या प्रस्तुत करेगा।

1934 का संख्यांक 2

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ''प्रत्यय विषयक जानकारी'' पद का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 क के खण्ड (ग) में है किन्तु यह इस उपांतरण के अधीन रहते हुए होगा कि उसमें निर्दिष्ट ''बैंककारी कम्पनी'' से विकास बैंक, कोई अनुसूचित बैंक या पूर्वोक्त कोई अन्य वित्तीय संस्था अभिप्रेत होगी।

(3) Every director, member of a committee, auditor or officer or other employee of the Exim Bank or of the Development Bank whose services are utilised by the Exim Bank under the provisions of this Act, shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the First Schedule.

(4) Nothing contained in this section shall apply to the credit information disclosed under the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.

30 of 2005.

Defects in appointments not to invalidate acts, etc.

31. *(1)* No act or proceeding of the Board or of any committee of the Exim Bank shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution of, the Board or the committee, as the case may be.

(2) No act done by any person acting in good faith as a director shall be deemed to be invalid merely on the ground that he was disqualified to be a director or that there was any other defect in his appointment.

Arrangement with Exim Bank on appointment of directors to prevail.

32. *(1)* Where any arrangement entered into by the Exim Bank with a company provides for the appointment by the Exim Bank of one or more directors of such company, such provision and any appointment of directors made in pursuance thereof shall be valid and effective notwithstanding anything to the contrary contained in the Companies Act, 1956, or in any other law for the time being in force or in the memorandum, articles of association or any other instrument relating to the company, and any provision regarding share qualification, age-limit, number of directorships, removal from office of directors and such like conditions contained in any such law or instrument aforesaid, shall not apply to any director appointed by the Exim Bank in pursuance of the arrangement as aforesaid.

1 of 1956.

(2) Any director appointed as aforesaid shall -

(a) hold office during the pleasure of the Exim Bank and may be removed or substituted by any person by order in writing of the Exim Bank;

(b) not incur any obligation or liability by reason only of his being a director or for anything done or omitted to be done in good faith in the discharge of his duties as a director or anything in relation thereto;

(c) not be liable to retirement by rotation and shall not be taken into account for computing the number of directors liable to such retirement.

Indemnity of directors.

33. *(1)* Every director shall be indemnified by the Exim Bank against all losses and expenses incurred by him, in, or in relation to, the discharge of his duties, except such as are caused by his own wilful act or default.

(3) एक्ज़िम बैंक या विकास बैंक का प्रत्येक निदेशक, समिति का सदस्य लेखापरीक्षक या अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जिसकी सेवाओं का उपयोग इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन एक्ज़िम बैंक द्वारा किया जाता है, अपना कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व पहली अनुसूची में दिए गए प्ररूप में विश्‍वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

2005 का 30

(4) इस धारा की कोई बात प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियम) अधिनियम, 2005 के अधीन प्रत्यय जानकारी प्रकटीकरण को लागू नहीं होगी।

नियुक्तियों में त्रुटियों के कारण कार्य आदि का अविधिमान्य न होना।

31. *(1)* बोर्ड का या एक्ज़िम बैंक की किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि, यथास्थिति, बोर्ड या समिति में कोई रिक्ति थी या उसके गठन में कोई त्रुटि थी।

(2) निदेशक के रूप में सद्‌भावपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि वह निदेशक होने के लिए निरहित था या उसकी नियुक्ति में कोई अन्य त्रुटि थी।

निदेशकों की नियुक्ति के विषय में एक्ज़िम बैंक के साथ ठहराव का अध्यारोही होना।

1956 का 1।

32. *(1)* जहां एक्ज़िम बैंक द्वारा किसी कम्पनी के साथ किए गए ठहराव में, ऐसी कम्पनी के एक या अधिक निदेशकों की एक्ज़िम बैंक द्वारा नियुक्ति के लिए उपबन्ध किया गया है वहां ऐसा उपबन्ध और उसके अनुसरण में की गई निदेशकों की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या कम्पनी से संबद्ध ज्ञापन, संगम-अनुच्छेदों या किसी अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, विधिमान्य और प्रभावशील होगी और शेयर अर्हता, आयु सीमा, निदेशकों के पदों की संख्या, पद से निदेशकों के हटाए जाने से संबंधित कोई उपबन्ध और ऐसी ही अन्य शर्तें जो ऐसी किसी विधि या उपरोक्त लिखत में है, यथापूर्वोक्त ठहराव के अनुसरण में एक्ज़िम बैंक द्वारा नियुक्त किसी निदेशक को लागू नहीं होंगी।

(2) यथापूर्वोक्त नियुक्त कोई निदेशक -

(क) एक्ज़िम बैंक के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा और एक्ज़िम बैंक के लिखित आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा या उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति रखा जा सकेगा;

(ख) निदेशक होने के कारण ही या निदेशक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सद्‌भावनापूर्वक किए गए, किसी कार्य या लोप या उससे सम्बन्धित किसी बात के लिए कोई बाध्यता या दायित्व उपगत नहीं करेगा;

(ग) चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होने के दायित्वाधीन नहीं होगा और ऐसे सेवानिवृत्त होने के दायित्वाधीन निदेशकों की संख्या की संगणना करने में उसकी गिनती नहीं की जाएगी।

निदेशकों की क्षतिपूर्ति।

33. *(1)* प्रत्येक निदेशक की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में या सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत सभी हानियों और व्ययों की बाबत, जो उसके जानबूझकर किए गए कार्य या व्यतिक्रमों से न हुए हों, एक्ज़िम बैंक द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी।

(2) A director shall not be responsible for any other director or for any officer or other employee of the Exim Bank or for any loss or expenses resulting to the Exim Bank from the insufficiency or deficiency of the value of, or title to, any property or security acquired or taken on behalf of the Exim Bank or the insolvency or wrongful act of any debtor or any person under obligation to the Exim Bank or anything done in good faith in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

Protection of action taken in good faith.

34. No suit or other legal proceeding shall lie against the Exim Bank or any director or any officer or other employee of the Exim Bank or any other person authorised by the Exim Bank to discharge any functions under this Act for any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any other law or provision having the force of law.

Act 18 of 1891 to apply in relation to Exim Bank.

35. The Bankers' Books Evidence Act, 1891 shall apply in relation to the Exim Bank as if it were a Bank as defined in section 2 of that Act.

Section 34A and section 36AD only of Act 10 of 1949 to apply to Exim Bank.

36. Nothing contained in the Banking Regulation Act, 1949, except section 34A and section 36AD thereof, shall apply to the Exim Bank.

Act 43 of 1961 and Act 7 of 1964 not to apply to Exim Bank.

37. [Omitted]

Liquidation of Exim Bank.

38. No provision of any law relating to the winding up of companies or corporations shall apply to the Exim Bank and the Exim Bank shall not be placed in liquidation save by an order of the Central Government and in such manner as it may direct.

Power to make regulations.

39. *(1)* The Board may, with the previous approval of the Central Government, by notification in the Official Gazette, make regulations not inconsistent with this Act to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for -

(a) the times and places of the meetings of the Board or of any committee constituted under this Act and the procedure to be followed at such meetings including the quorum necessary for the transaction of business;

(b) the fees and allowances that may be paid to the directors and the members of a committee;

(2) कोई निदेशक एक्ज़िम बैंक के किसी अन्य निदेशक के लिए अथवा किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के लिए या एक्ज़िम बैंक को होने वाली किसी ऐसी हानि या व्ययों के लिए, जो एक्ज़िम बैंक की ओर से अर्जित की गई या ली गई किसी सम्पत्ति या प्रतिभूति के मूल्य की या उसमें हक की अपर्याप्तता या कमी के अथवा एक्ज़िम बैंक के प्रति बाध्यताधीन किसी ऋणी या व्यक्ति के दिवाले या सदोष कार्य के अथवा अपने पद के या इससे संबंधित कर्तव्यों के निष्पादन में सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के परिणामस्वरूप हो, उत्तरदायी नहीं होगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

34. इस अधिनियम या किसी अन्य विधि या विधि का बल रखने वाले किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुई या संभाव्य किसी हानि या नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही एक्ज़िम बैंक या उसके किसी निदेशक या अधिकारी या अन्य कर्मचारी अथवा इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों के निर्वहनों के लिए एक्ज़िम बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

1891के अधिनियम संख्यांक 18 का एक्ज़िम बैंक के संबंध में लागू होना।

35. बैंककार वंही साक्ष्य अधिनियम, 1891 एक्ज़िम बैंक के सम्बन्ध में, इस प्रकार लागू होगा मानो वह इस अधिनियम की धारा 2 में यथा परिभाषित बैंक हो।

1949 के अधिनियम संख्यांक 10 की धारा 34 क और धारा 36 क घ ही एक्ज़िम बैंक को लागू होंगी।

36. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 34 क और धारा 36 क घ के सिवाय उस अधिनियम की कोई बात एक्ज़िम बैंक को लागू नहीं होगी।

1961 के अधिनियम संख्याक 43 और 1964 के अधिनियम संख्यांक 7 का एक्ज़िम बैंक को लागू न होना।

37. [हटा दिया गया]

एक्ज़िम बैंक का समापन

38. कम्पनियों या निगमों के परिसमापन से संबन्धित किसी विधि का कोई उपबन्ध एक्ज़िम बैंक को लागू नहीं होगा और एक्ज़िम बैंक का समापन केन्द्रीय सरकार के आदेश से ही और ऐसी रीति से, जो वह निर्दिष्ट करे, किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

विनियम बनाने की शक्ति

39. *(1)* बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे सभी विषयों के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए, उपबंध करना आवश्यक या समीचीन है, उपबंध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) बोर्ड या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति के अधिवेशनों के समय और स्थान और अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत कामकाज के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी है;

(ख) निदेशकों और समिति के सदस्यों को दी जाने वाली फीसें और भत्तें ;

(c) the form and manner in which the balance-sheets and the account of the Export Development Fund and the Exim Bank shall be prepared;

(d) the duties and conduct, and the terms and conditions of service of the officers and other employees of the Exim Bank;

(e) the establishment and maintenance of provident fund or any other fund for the benefit of the officers and other employees of the Exim Bank; and

(f) any other matter which is to be, or may be, prescribed.

(3) Every regulation made by the Board under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the regulation or both Houses agree that the regulation should not be made, the regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that regulation.

Amendment of certain enactments.

40. [Repealed.]

Power to remove difficulty.

41. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, do anything, not inconsistent with such provisions, for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiration of three years from the date on which this Act receives the assent of the President.

(ग) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे निर्यात विकास निधि और एक्ज़िम बैंक के तुलनपत्र और लेखा तैयार किए जाएंगे;

(घ) एक्ज़िम बैंक के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कर्तव्य और आचरण तथा उनकी सेवा की शर्तें और निबन्धन;

(ङ) एक्ज़िम बैंक के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए भविष्य-निधि या किसी अन्य निधि की स्थापना और उनको बनाए रखा जाना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी यह उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कुछ अधिनियमितियों का संशोधन

40. [निरस्त]

कठिनाई दूर करने की शक्ति

41. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, आदेश द्वारा, ऐसा कार्य कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों।

परन्तु ऐसा कोई, आदेश उस तारीख से जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीन वर्ष के अवसान के पश्चात नहीं किया जाएगा।

THE FIRST SCHEDULE

[See section 30 (3)]

DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY

I ………………………………………………………………………………, do hereby declare that I will faithfully, truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as director, member of ………………………......................… committee, auditor, officer or other employee (as the case may be) of the Export-Import Bank of India and which properly relate to the office or position held by me in or in relation to the said Exim Bank.

I further declare that I will not communicate or allow to be communicated to any person not legally entitled thereto any information relating to the affairs of the Export-Import Bank of India or to the affairs of any person having any dealing with the said Exim Bank, nor will I allow any such person to inspect or have access to any books or documents belonging to or in the possession of the said Exim Bank and relating to the business of the said Exim Bank or the business of any person having any dealing with the said Exim Bank.

(Signature)

Signed before me.

पहली अनुसूची

[धारा 30(3) देखिए]

विश्वसनीयता और गोपनीयता की घोषणा

मैं, ... इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारतीय निर्यात-आयात बैंक के (यथास्थिति) निदेशक,..................... समिति के सदस्य, लेखापरीक्षक, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में मुझ से अपेक्षित और उक्त एक्ज़िम बैंक में या उसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा धारण किए गए पद या ओहदे से उचित रूप से संबद्ध कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, सच्चाई से और पूर्ण कुशलता और योग्यता से निष्पादन और पालन करूंगा।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं भारतीय निर्यात-आयात बैंक के कार्यों से या उक्त एक्ज़िम बैंक से कोई व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के कार्यों से सम्बद्ध कोई जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसका विधिक रूप से हकदार नहीं है, संसूचित नही करूंगा और न संसूचित होने दूंगा तथा ऐसे किसी व्यक्ति को उक्त एक्ज़िम बैंक की या उसके कब्जे में की तथा उक्त एक्ज़िम बैंक के कारबार से या उक्त एक्ज़िम बैंक से कोई व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के कारोबार से सम्बद्ध किन्हीं बहियों या दस्तावेज़ों का निरीक्षण नहीं करने दूंगा और न उसकी उन तक पहुंच होने दूंगा।

(हस्ताक्षर)

मेरे सामने हस्ताक्षर किए।

THE SECOND SCHEDULE

(Amendments of certain enactments)

[Repealed by the Repealing and Amending Act, 1988 (19 of 1988)]

दूसरी अनुसूची

[कुछ अधिनियमितियों के संशोधन]

[निरसन और संशोधन अधिनियम 1988 (1988 का संख्यांक 19) द्वारा हटा दिया गया।]

EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

HEAD OFFICE

Centre One Building, 21st Floor, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005.
Phone: (91 22) 22172600 Fax : (91 22) 22182572
E-mail : ccg@eximbankindia.in Website: www.eximbankindia.in

LONDON BRANCH

5th Floor, 35 King Street, London EC2V 8BB United Kingdom
Phone : (0044) 20 77969040 Fax : (0044) 20 76000936
E-Mail :eximlondon@eximbankindia.in

DOMESTIC OFFICES

Ahmedabad

Sakar II, 1st Floor, Next to Ellisbridge Shopping Centre, Ellisbridge P. O., Ahmedabad 380 006.
Phone : (91 79) 26576852/26576843; Fax : (91 79) 26577696
E-mail : eximahro@eximbankindia.in

Bangalore

Ramanashree Arcade, 4th Floor, 18, M. G. Road, Bangalore 560 001.
Phone : (91 80) 25585755/25589101-04; Fax : (91 80) 25589107
E-mail : eximbro@eximbankindia.in

Chandigarh

C- 213, Elante offices, Industrial Area phase 1, Chandigarh
Phone : (91 172) 4629171-73; Fax : (91 172) 4629175
E-mail : eximcro@eximbankindia.in

Chennai

Overseas Towers, 4th and 5th Floor, 756-L, Anna Salai, Chennai 600 002.
Phone : (91 44) 28522830/31; Fax : (91 44) 28522832
E-mail : eximchro@eximbankindia.in

Guwahati

NEDFi House, 4th Floor, GS Road, Dispur, Guwahati 781 006
Phone : (91 361) 2237607/609; Fax : (91 361) 2237701
E-mail : eximgro@eximbankindia.in

Hyderabad

Golden Edifice, 2nd Floor, 6-3-639/640, Raj Bhavan Road, Khairatabad Circle, Hyderabad 500 004.
Phone : (91 40) 23307816-21; Fax : (91 40) 23317843
E-mail : eximhro@eximbankindia.in

Kolkata

Vanijya Bhawan, 4th Floor, (International Trade Facilitation Centre), 1/1 Wood Street, Kolkata 700 016.
Phone : (91 33) 22833419/20; Fax : (91 33) 22891727
E-mail : eximkro@eximbankindia.in

New Delhi

Statesman House, Ground Floor, 148, Barakhamba Road, New Delhi 110 001.
Phone : (91 11) 23474800; Fax : (91 11) 23322758/23321719
E-mail : eximndro@eximbankindia.in

Pune

44, Shankarseth Road, Pune 411 037.
Phone : (91 20) 26403000; Fax : (91 20) 26458846
E-mail : eximpro@eximbankindia.in

OVERSEAS OFFICES

Abidjan

5th Floor, Azur Building, 18-Docteur Crozet Road, Plateau, Abidjan, Côte d'Ivoire
Phone : (225) 20 24 29 51; Mobile: (225) 79707149;
Fax : (225) 20 24 29 50; Email : eximabidjan@eximbankindia.in

Addis Ababa

Bole Kifle Ketema, Kebele - 19, (03/05), House No. 015-B, Addis Ababa, Ethiopia.
Phone : (251 116) 630079; Fax : (251 116) 610170
E-mail : aaro@eximbankindia.in

Dubai

Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct Building No. 3, Dubai International Financial Centre, PO Box No. 506541, Dubai, UAE.
Phone : (971 4) 3637462; Fax : (971 4) 3637461
E-mail : eximdubai@eximbankindia.in

Johannesburg

2nd Floor, Sandton City Twin Towers East, Sandhurst Ext. 3, Sandton 2196, Johannesburg, South Africa.
Phone : (27 11) 3265103/13; Fax : (27 11) 7844511
E-mail : eximjro@eximbankindia.in

Singapore

20, Collyer Quay, #10-02, Singapore 049319.
Phone : (65) 65326464; Fax : (65) 65352131
E-mail : eximsingapore@eximbankindia.in

Washington D.C.

1750 Pennsylvania Avenue NW, Suite 1202, Washington D.C. 20006, United States of America.
Phone : (1 202) 223 3238; Fax : (1 202) 785 8487
E-mail : eximwashington@eximbankindia.in

Yangon

House No. 54/A, Ground Floor, Boyarnyunt Street, Dagon Township, Yangon, Myanmar
Phone : (95) 1389520; Mobile: (95) 1389520
Email: eximyangon@eximbankindia.in

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

मुख्यालय

केन्द्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005.
फोन: (91 22) 22172600; फैक्स: (91 22) 22182572
ई-मेल: ccg@eximbankindia.in वेबसाइट : www.eximbankindia.in

लंदन शाखा

5वीं मंज़िल, 35 किंग स्ट्रीट, लंदन-ई सी 2वी 8 बीबी, यूनाइटेड किंगडम
फोन: (0044) 20 77969040; फैक्स: (0044) 20 76000936
ई-मेल: eximlondon@eximbankindia.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद

साकार II, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के आगे, एलिसब्रिज पी. ओ.,
अहमदाबाद 380 006.
फोन : (91 79) 26576852/26576843; फैक्स : (91 79) 26577696
ई-मेल : eximahro@eximbankindia.in

बैंगलोर

रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल, 18, एम. जी. रोड, बैंगलोर 560 001.
फोन : (91 80) 25585755/25589101-04; फैक्स : (91 80) 25589107
ई-मेल : eximbro@eximbankindia.in

चंडीगढ़

सी- 213, एलान्ते कार्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, चंडीगढ़
फोन : (91 172) 4629171-73; फैक्स : (91 172) 4629175
ई-मेल : eximcro@eximbankindia.in

चेन्नई

ओवरसीज टावर, 4थीं तथा 5वीं मंज़िल, 756-एल, अन्ना सालै. चेन्नई 600 002.
फोन : (91 44) 28522830/31; फैक्स : (91 44) 28522832
ई-मेल : eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी

नेडफी हाउस, 4थीं मंज़िल, जीएस रोड, दिसपुर, गुवाहाटी 781 006
फोन : (91 361) 2237607/609; फैक्स : (91 361) 2237701
ई-मेल : eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद

गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640, राज भवन रोड,
खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद 500 004.
फोन : (91 40) 23307816-21; फैक्स : (91 40) 23317843
ई-मेल : eximhro@eximbankindia.in

कोलकाता

वाणिज्य भवन,चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण केंद्र),
1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता 700 016.
फोन : (91 33) 22833419/20; फैक्स : (91 33) 22891727
ई-मेल : eximkro@eximbankindia.in

नई दिल्ली

स्टेट्समैन हाउस, तल मंज़िल, 148, बाराखंबा रोड,
नई दिल्ली 110 001. 110 001.
फोन : (91 11) 23474800; फैक्स : (91 11) 23322758/23321719
ई-मेल : eximndro@eximbankindia.in

पुणे

44, शंकरशेठ रोड, पुणे 411 037.
फोन : (91 20) 26403000; फैक्स : (91 20) 26458846
ई-मेल : eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

अबिदजान

5वीं मंज़िल, अज्यूर बिल्डिंग, 18-दॉक्तर क्रोज़े रोड, प्लेत्यो,
अबिदजान, कोत दि'वार
फोन : (225) 20 24 29 51; मोबाइल : (225) 79707149;
फैक्स : (225) 20 24 29 50; ई-मेल : eximabidjan@eximbankindia.in

अदिस अबाबा

बोले कीफले केतेमा, केबेले - 19, (03/05), मकान नं. 015-बी,
अदिस अबाबा, इथियोपिया.
फोन : (251 116) 630079; फैक्स : (251 116) 610170
ई-मेल : aaro@eximbankindia.in

दुबई

लेवल 5, टेनेंसी 1बी, प्रीसिंक्ट गेट बिल्डिंग नं. 3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, पो ओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, यू ए ई.
फोन : (971 4) 3637462; फैक्स : (971 4) 3637461
ई-मेल : eximdubai@eximbankindia.in

जोहानिस्बर्ग

दूसरी मंज़िल, सैंटन सिटी ट्विन टॉवर्स ईस्ट, सैंडहर्स्ट एक्सटेंशन 3, सैटन, 2196,
जोहानिस्बर्ग, दक्षिण अफ्रीका.
फोन : (27 11) 3265103/13; फैक्स : (27 11) 7844511
ई-मेल : eximjro@eximbankindia.in

सिंगापुर

20, कोलियर की, #10-02, सिंगापुर 049319.
फोन : (65) 65326464; फैक्स : (65) 65352131
ई-मेल : eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंग्टन डी.सी.

1750 पेनसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू, सूइट 1202, वाशिंग्टन डी. सी. 20006,
संयुक्त राय अमेरिका.
फोन : (1 202) 223 3238; फैक्स : (1 202) 785 8487
ई-मेल : eximwashington@eximbankindia.in

यांगून

हाउस नं. 54/ए, तल मंज़िल, बोरान्यु मार्ग, डैगन टाउनशिप,
यांगून, म्यांमार
फोन : (95) 1389520; मोबाइल: (95) 1389520
ई-मेल : eximyangon@eximbankindia.in